



क्रमांक : मप्रविनिआ / 2022 / 310

भोपाल दिनांक 10 / 02 / 2022

सार्वजनिक सूचना
(याचिका क्र. 04/2022)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा “ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 (आरजी-35 (III) वर्ष 2021) (जिसे बाद में टैरिफ विनियम उल्लेखित किया गया है) दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित किया गया।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूर्व क्षेत्र) जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम क्षेत्र) इन्दौर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मध्य क्षेत्र) भोपाल, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (जिन्हें “याचिकाकर्ता” उल्लेखित किया गया है) राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि. जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून 2012 को प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों बाबत अनुबंध किया गया है।

आयोग द्वारा याचिका क्र. 61/2021 के संदर्भ में जारी किये गये आदेश दिनांक 25.01.2022 के परिपालन में, टैरिफ विनियम, जो कि दिनांक 03.12.2021 को अधिसूचित हुआ है, के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये खुदरा प्रदाय की दरों के निर्धारण हेतु एक नवीन याचिका दिनांक 07.02.2022 को दायर की है। आयोग ने दिनांक 09.02.2022 को आयोजित सुनवाई में याचिका को स्वीकार किया है। आयोग ने एतद् द्वारा सुझावकर्ताओं के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

चूँकि पूर्व याचिका क्र. (61/2021) निराकृत हो चुकी है तथा नवीन याचिका प्रस्तुत की गई है, अतः अब आयोग द्वारा उक्त अवधि हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता/खुदरा विद्युत प्रदाय दरों का निर्धारण करने हेतु दर्ज की गयी इसी नयी याचिका क्र. 04/2022 के संदर्भ में व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली आपत्तियां/टीप/सुझावों पर ही विचार किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए विद्युत वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा दर प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित है:-

तलिका 1 : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

विवरण	सभी आंकड़े रु करोड़ में			
	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा. मै.कं. की लागत सहित)	8,598	9,426	15,735	33,760
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित	1,262	1,487	1,507	4,256
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	506	494	359	1,359
कर्मचारी व्यय	1,323	1,205	1,225	3,753
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	126	120	139	385
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	131	140	179	450
अवमूल्यन	715	708	498	1,921
ब्याज एवं वित्त प्रभार	417	501	381	1,299

विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
अंशपूँजी पर लाभ	291	275	228	794
सकल राजस्व आवश्यकता (अंशपूँजी पर लाभ सहित)	13,370	14,356	20,251	47,977
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	423	370	342	1,135
कुल राजस्व आवश्यकता	12,947	13,987	19,910	46,843
वितरण कंपनियों की वित्तीय वर्ष 2019-20 की सत्यापन राशि	1,260	1,253	(482)	2,031
सत्यापन राशि को शामिल कर कुल राजस्व आवश्यकता (अ)	14,207	15,239	19,428	48,874
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	13,066	14,026	17,866	44,957
कुल राजस्व अंतर (अ- ब)	1,141	1,213	1,562	3,916
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	14,207	15,239	19,428	48,874
प्रस्तावित दरों पर अंतर	-	-	-	-

तलिका 2 : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

सभी आंकड़े रु करोड़ में				
विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा.मै.कं. की लागत सहित)	10,658	11,384	14,427	36,469
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित	1,291	1,504	1,544	4,339
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	594	580	452	1,626
कर्मचारी व्यय	1,456	1,300	1,335	4,091
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	132	125	145	402
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	141	152	195	489
अवमूल्यन	786	784	586	2,155
ब्याज एवं वित्त प्रभार	450	519	437	1,406
अंशपूँजी पर लाभ	312	295	239	846
सकल राजस्व आवश्यकता (अंशपूँजी पर लाभ सहित)	15,818	16,644	19,359	51,821
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	432	399	395	1,226
कुल राजस्व आवश्यकता	15,386	16,244	18,965	50,595

तलिका 3 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

सभी आंकड़े रु करोड़ में				
विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा.मै.कं. की लागत सहित)	11,409	12,187	15,443	39,039
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित	1,342	1,564	1,606	4,512
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	838	764	633	2,235
कर्मचारी व्यय	1,574	1,401	1,452	4,427
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	137	131	151	419
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	152	165	210	527
अवमूल्यन	910	896	702	2,508
ब्याज एवं वित्त प्रभार	509	568	509	1,586

विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
अंशपूँजी पर लाभ	330	311	250	891
सकल राजस्व आवश्यकता (अंशपूँजी पर लाभ सहित)	17,201	17,987	20,956	56,144
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	479	447	458	1,384
कुल राजस्व आवश्यकता	16,722	17,540	20,498	54,761

तलिका 4 : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

सभी आंकड़े रु करोड़ में				
विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा.मै.कं. की लागत सहित)	12,167	12,997	16,470	41,633
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित	1,396	1,627	1,670	4,693
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	921	845	709	2,476
कर्मचारी व्यय	1,699	1,508	1,577	4,784
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	143	136	157	436
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	161	177	224	562
अवमूल्यन	1,026	1,010	815	2,851
ब्याज एवं वित्त प्रभार	545	579	555	1,679
अंशपूँजी पर लाभ	341	324	262	928
सकल राजस्व आवश्यकता (अंशपूँजी पर लाभ सहित)	18,400	19,203	22,439	60,043
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	524	514	530	1,568
कुल राजस्व आवश्यकता	17,877	18,689	21,909	58,475

तलिका : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता :

सभी आंकड़े रु करोड़ में				
विवरण	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	म.प्र. राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स बस, वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पा.मै.कं. की लागत सहित)	12,882	13,759	17,436	44,077
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित	1,452	1,692	1,737	4,880
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	985	910	769	2,664
कर्मचारी व्यय	1,831	1,622	1,709	5,163
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	149	142	164	455
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	172	188	237	597
अवमूल्यन	1,108	1,039	909	3,055
ब्याज एवं वित्त प्रभार	540	543	556	1,640
अंशपूँजी पर लाभ	348	338	274	959
सकल राजस्व आवश्यकता (अंशपूँजी पर लाभ सहित)	19,467	20,232	23,791	63,491
घटायें: अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	558	518	597	1,673
कुल राजस्व आवश्यकता	18,909	19,714	23,195	61,818

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान दरों पर विद्युत के खुदरा विक्रय से रु 44957 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है जिसमें रु 3916 करोड़ का राजस्व अंतर रहेगा। याचिकाकर्ताओं ने इस राजस्व अंतर की पूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये दरों के पुनरीक्षण से किये जाने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजस्व अन्तर रुपये 3916 करोड़ की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित श्रेणीवार दर एवं औसत वृद्धि निम्नानुसार है:-

तालिका 6 : म.प्र. राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित दरों का राजस्व अंतर :

टैरिफ श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मि.यू.	रु करोड़	रु करोड़	रु करोड़	प्रतिशत
एल.वी 1	घरेलू	19,074	12,659	13,921	1,262	9.97%
एल.वी 2	गैर घरेलू	3,776	3,421	3,573	152	4.44%
एल.वी 3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	1,451	968	1,066	98	10.11%
एल.वी 4	निम्नदाब उद्योग	1,537	1,413	1,485	72	5.11%
एल.वी 5	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	27,665	16,133	17,844	1,711	10.61%
एल.वी 6	ई व्हीकलचार्जिंग/ ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	3	2	2	0	0.00%
योग (निम्न दाब)		53,506	34,596	37,891	3,295	9.52%
एच. वी 1	रेल्वे कर्षण	111	80	80	0	0.00%
एच. वी 2	कोयला खदाने	554	482	507	25	5.19%
एच. वी 3.1	औद्योगिक	6,803	5,342	5,385	43	0.81%
एच. वी 3.2	गैर औद्योगिक	1,034	780	844	64	8.24%
एच. वी 3.3	शॉपिंग मॉल	132	111	115	3	3.11%
एच. वी 3.4	गहन पावर उद्योग	3,730	2,179	2,471	292	13.38%
एच. वी 4	मौसमी	25	20	21	1	4.90%
एच. वी 5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवं कृषि संबंधित अन्य उपयोग	1,584	1,034	1,195	161	15.58%
एच. वी 6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	457	306	335	29	9.61%
एच. वी 7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	22	24	25	1	4.37%
एच. वी 8	उच्च दाब- ई व्हीकल चार्जिंग/ ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	6	4	4	0	0.00%
योग (उच्च दाब)		14,457	10,362	10,982	620	5.99%
योग (उच्च दाब + निम्न दाब)		67,964	44,957	48,874	3,915	8.71%

यहाँ उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा टैरिफ की संरचना तथा उसकी सामान्य निबंधन एवं शर्तों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं जो कि याचिका के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णित किये गये हैं। मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है :

1. **उप श्रेणी एल.वी 5.2-की प्रयोज्यता में से फूलों/पौधों/पौध/फल उगाने वाले खेतों को हटा कर उप श्रेणी एल.वी.-5.1 में समाहित करते हुए एल.वी-5.1 और एल.वी-5.2 टैरिफ उप-श्रेणियों की प्रयोज्यता में संशोधन :**

व्यावहारिक रूप से कृषि सिंचाई के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बिजली के उपयोग को प्रतिबंधित करना मुश्किल है। कृषि उपभोक्ता अक्सर एक ही खेत में नियमित फसल के साथ-साथ फूलों

की खेती कर रहे हैं और अलग-अलग फसलों के लिए अलग कनेक्शन स्थापित करना संभव नहीं है।

2. **एल.टी. टैरिफ की सामान्य नियम और शर्तों की कंडिका 6(a)(i) एवं (b)(i) में स्वीकृत भार अथवा संविदा माँग में 120% से अधिक की वृद्धि होने पर ऐसे अतिरिक्त भार अथवा माँग के अनुरूप की गई खपत पर ऊर्जा प्रभार 1.3 गुना की दर से किये जाने हेतु संशोधन का प्रस्ताव है :** चूंकि उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार/संविदा माँग से अधिक भार/माँग के अनुरूप खपत हेतु लाइसेंसधारियों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, अतः इस बोझ का कुछ हिस्सा उन उपभोक्ताओं द्वारा साझा किया जाना उचित है जिनका भार/अधिकतम माँग उनके स्वीकृत भार/संविदा माँग के 120% से अधिक है।
3. **एलटी टैरिफ की सामान्य नियम और शर्तों की कंडिका 7(ई) में संशोधन:** म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप पात्र उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर प्रोत्साहन प्रदान करने में स्पष्टता के लिए, याचिकाकर्ताओं ने संशोधन प्रस्तुत किया है।
4. **एचवी-3 श्रेणी के मौजूदा उपभोक्ताओं की खपत में वृद्धि पर 1/- रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव:** जैसा कि म.प्र. बिजली अधिशेष राज्य है, अतः वित्त वर्ष 2015-16 के तत्समान माह की तुलना में खपत में वृद्धि होने पर बढ़े हुये यूनिटों पर ऊर्जा प्रभार में 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव है।
5. **एचवी-3 श्रेणी के नवीन विद्युत संयोजनों पर 1 रुपये प्रति यूनिट अथवा 20% जो भी कम हो, की छूट जारी जारी रखने का प्रस्ताव :-**
जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा अधिशेष परिदृश्य का अनुमान लगाया है, साथ ही औद्योगिक उपभोक्ताओं पर कोविड 19 लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए एच.वी. 3 श्रेणी के नवीन विद्युत संयोजनों की कुल खपत पर ऊर्जा प्रभार में रुपये 1 प्रति यूनिट अथवा 20% जो भी कम हो, की छूट जारी जारी रखने का प्रस्ताव दिया है।
6. **एचवी-3 श्रेणी के खुली पहुँच (ओपन एक्सेस) वाले उपभोक्ताओं की खपत में वृद्धि पर 1/- रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव:** जैसा कि म.प्र. बिजली अधिशेष राज्य है, अतः एचवी-3 श्रेणी के खुली पहुँच (ओपन एक्सेस) वाले उपभोक्ताओं की लाइसेंसी से ली जाने वाली बढ़ी हुई यूनिटों पर ऊर्जा प्रभार पर 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव है, जो कि ओपन एक्सेस से की जाने वाली तत्समान खपत में कमी के अधीन है।
7. **एचवी-3 श्रेणी के कैप्टिव बिजली संयंत्रों वाले उपभोक्ताओं की खपत में वृद्धि पर 2/- रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव:** जैसा कि म.प्र. बिजली अधिशेष राज्य है, अतः एचवी-3 श्रेणी के कैप्टिव बिजली संयंत्रों वाले उपभोक्ताओं की लाइसेंसी से ली जाने वाली बढ़ी हुई यूनिटों पर ऊर्जा प्रभार में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट जारी रखने का प्रस्ताव है, जो कि कैप्टिव बिजली संयंत्र से की जाने वाली तत्समान खपत में कमी के अधीन होगी।
8. **मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले सम्भारकों से सम्बद्ध उच्चदाब ओद्योगिक को लागू छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है:** जैसा की वर्तमान में सभी उच्चदाब ओद्योगिक उपभोक्ताओं को 24x7 हेतु विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और शहरी तथा ग्रामीण सम्भारकों के वर्गीकरण का कोई ढांचा मौजूद नहीं है। जिससे छूट की प्रयोज्यता संबंधी विवाद निर्मित होता है। अतः उपयुक्त उक्त छूट समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

9. **एचवी-3.4 टैरिफ उप-श्रेणी के अन्तर्गत गहन विद्युत उद्योगों की प्रयोज्यता में संशोधन:** इस श्रेणी के अंतर्गत लौह एवं स्टील के गर्म करने हेतु कोयला भट्टियों का इस्तमाल करने वाले कुछ उपभोक्ताओं के मामले में उत्पन्न अस्पष्टता को देखते हुए गहन विद्युत उपभोक्ताओं के प्रायोज्यता कंडिका को "केवल विद्युत भट्टियों का उपयोग कर लौह एवं स्टील को गर्म करने अथवा पिघलाने के लिए" संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।
10. **उच्चदाब दरों के सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका 1.15 (ii) के अनुसार अधिकतम माँग संविदा माँग के 120% से अधिक होने पर ऐसी अतिरिक्त माँग के अनुरूप की गई खपत पर ऊर्जा प्रभार 1.3 गुना की दर से किये जाने हेतु संशोधन का प्रस्ताव है :-** चूंकि उपभोक्ताओं की संविदा माँग से अधिक माँग के अनुरूप खपत हेतु लाइसेंसधारीयों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, अतः इस बोझ का कुछ हिस्सा उन उपभोक्ताओं द्वारा साझा किया जाना उचित है जिनकी अधिकतम माँग संविदा माँग के 120% से अधिक है।
11. **विद्यमान उच्चदाब संयोजन धारी उपभोक्ताओं द्वारा उनके परिसर में अस्थायी आपूर्ति का अनुरोध करने पर डीमंड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अवधारणा लागू करने के लिये उच्च-दाब दरों के सामान्य नियमों एवं शर्तों में उच्च दाब पर अस्थायी आपूर्ति के लिए बने खंड 1.19 की उप कंडिका (एफ) में संशोधन हेतु प्रस्ताव:** वर्तमान दरों में, स्थायी कनेक्शन की संविदा माँग और अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृत माँग के लिए बिलिंग को अलग करने की कोई पद्धति नहीं है। अतः विद्यमान उच्च दाब स्थायी कनेक्शन के साथ दिये गये अस्थायी कनेक्शन की बिलिंग में कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अतः प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकन की पद्धति प्रस्तावित की जा रही है।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ/टीप/सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 04.03.2022 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियाँ/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियाँ ई-मेल (secretary@mperc.nic.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियाँ दिनांक 04.03.2022 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 04.03.2022 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 11.02.2022 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा, भोपाल से एक प्रति के लिए रु. 1000/- के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय "उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल", क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रुपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2022, 09.03.2022 एवं 10.03.2022 को क्रमशः मध्य प्रदेश पूर्व क्षे.वि.वि.कं. लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., इन्दौर एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत

वितरण कं. लि., भोपाल के लिए प्रातः 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग सचिव को ई-मेल secretary@mperc.nic.in पर भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव